भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3578**

उत्तर देने की तारीख 11 अगस्त, 2025

सोमवार, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

**आईटीआई के उन्नयन हेतु योजना का कार्यान्वयन**

3578. श्री मलैयारासन डी.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों या राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नत करने हेतु किसी योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना का उद्देश्य, समय-सीमा और वित्तपोषण पैटर्न सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु के साथ-साथ देश भर में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नत की गई या उन्नयन के लिए प्रस्तावित आईटीआई की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम संवर्धन, अवसंरचना आधुनिकीकरण या संकाय प्रशिक्षण के लिए उद्योग या विदेशी संस्थानों के साथ कोई साझेदारी शुरू की गई है;

(ङ) उन्नयन हेतु आईटीआई के चयन हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं और क्या सरकार की योजना तमिलनाडु से और अधिक आईटीआई को शामिल करने की है; और

(च) ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों को इन उन्नत संस्थानों से लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): जी हां। मंत्रिमंडल ने ₹ 60,000 करोड़ की अनुमानित लागत (केंद्रीय हिस्सेदारी: ₹ 30,000 करोड़, राज्य हिस्सेदारी: ₹ 20,000 करोड़ और उद्योग हिस्सेदारी: ₹ 10,000 करोड़) पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दे दी है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. आईटीआई में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना;
ii. उद्योग मानकों के अनुसार अवसंरचना और उपकरणों का आधुनिकीकरण करना;
iii. विशेष रूप से नए और उभरते क्षेत्रों में, उद्योग-अनुकूल दीर्घावधिक और अल्पावधिक पाठ्यक्रम शुरू करना;
iv. माँग-आधारित कौशल विकास और बेहतर रोज़गार परिणामों के लिए उद्योग संपर्क को मज़बूत करना; और

v. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाना।

इस योजना में दो घटक शामिल हैं:

i. घटक I - हब एंड स्पोक मॉडल में 1,000 राजकीय आईटीआई (200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई) का उन्नयन। इन आईटीआई को स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल सामग्री और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों के साथ उन्नत किया जाएगा।

ii. घटक II - भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित पाँच एनएसटीआई की क्षमता वृद्धि, जिसमें वैश्विक साझेदारी के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।

इस योजना का कार्यान्वयन एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स (एआईपी) की साझेदारी में गठित स्पेशल पर्पज व्हिकल्स (एसपीवी) के माध्यम से किया जाएगा ताकि कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और परिणाम-आधारित वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) इस योजना के माध्यम से, तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में कुल एक हज़ार (1,000) आईटीआई को उन्नत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई सहित एनएसटीआई के भीतर कौशल विकास के लिए पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

(घ) जी हां। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के प्रयासों के अंतर्गत, पाठ्यक्रम सुधार, प्रशिक्षक प्रशिक्षण और अवसंरचना आधुनिकीकरण जैसे क्षेत्रों में संभावित सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस, कोरिया गणराज्य और जापान जैसे देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई है।

(ङ) मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, आईटीआई का चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उद्योग के परामर्श से किया जाएगा, ताकि उभरती कौशल आवश्यकताओं और स्थानीय औद्योगिक क्षमता के साथ अनुकूलन सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित है कि वे उद्योग भागीदारों के सहयोग से उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। आईटीआई का चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगा, जो उनकी तैयारी और उद्योग सहयोग पर निर्भर करेगा।

च) इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू किया जाना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले छात्रों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसरों की सुलभता में सुधार लाना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्थानीय उद्योग और आजीविका से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने और परामर्श, उपचारात्मक शिक्षा और प्लेसमेंट सहायता जैसी छात्र सहायता सेवाओं को मज़बूत करने का प्रावधान किया गया है।

*****